UPSI010014042026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सीतापुर।
उपस्थित : आशीष जैन, एच.जे.एस.
जमानत प्रार्थनापत्र सं0 295/2026
सी.आई.एस. नं.–648/2026

पिन्टू उम्र 29 वर्ष पुत्र खरगू निवासी ग्राम सेमरावॉ थाना महोली जिला सीतापुर।
आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार। अभियोजक।

मु0अ0सं0: 40/2025
धारा : 85, 80(2),352 बी.एन.एस एवं
धारा 3/4 डी.पी.एक्ट
थाना : महोली
जिला : सीतापुर

निस्तारण जमानत प्रार्थना–पत्र

मु0अ0सं0 40/2025 अर्न्तगत धारा 85, 80(2),352 बी.एन.एस एवं धारा 3/4 डी.पी.एक्ट थाना महोली जिला सीतापुर से सम्बन्धित आवेदक/अभियुक्त पिन्टू की ओर से प्रस्तुत किए गए प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र पर विद्वान अधिवक्ता आवेदक/अभियुक्त व विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) के तर्को को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक् रूप से परिशीलन किया।

जमानत प्रार्थना–पत्र के साथ शपथकर्ता कृष्ण कुमार द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र न तो इस न्यायालय के समक्ष और न ही माननीय उच्च न्यायालय में दिया गया है और न ही विचाराधीन है और न निरस्त हुआ है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि वादिनी मुकदमा नीलम देवी द्वारा इस आशय की एक तहरीर थानाध्यक्ष महोली को दी गयी कि दिनांक 18.4.2024 को प्रार्थिनी की पुत्री शान्ती देवी की शादी हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार दान दहेज देकर पिन्टू कुमार के साथ की थी। शादी के बाद पुत्री के विदा होकर ससुराल जाने पर उसकी पुत्री से उसके पति पिन्टू एवं ससुर खरगू व खरगू की पत्नी प्रार्थिनी द्वारा दिये गये दान दहेज से खुश न होकर अतिरिक्त दहेज में सोने की चेन व मोटर साइकिल की मांग की गयी। उक्त दहेज की मॉग पूरी न होने पर विपक्षीगण द्वारा प्रताड़ित किया जाने लगा तथा प्रार्थिनी की पुत्री को जबरदस्ती पकडकर कमरे मे बन्द करके बारी बारी से लात घूसो व डण्डा से मारते पीटते थे व धमकी देते थे कि अतिरिक्त दहेज न मिला तो शान्ती देवी को जान से मार देगे। दिनांक 1.2.2025 को प्रार्थिनी की पुत्री के ससुरालजन पुत्री शान्ती देवी को गाली गलौज देकर मारपीट कर उसकी हत्या कर दिये और शान्ती देवी के शव को छत के छल्ला से लटका दिये प्रार्थिनी को सूचना नही दी गयी। दिनांक 02.02.2025 को जरिये मोबाइल फोन सूचना पाकर मौके पर जाकर देखा तो उसको भी गाली गलौज देकर भगा दिया। वादिनी की उक्त तहरीर के आधार पर सम्बंधित थाने में अभियोग पंजीकृत किया गया।

Digitally signed by Ashish Jain
Date: 2026.03.18 17:41:57 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court,STP.

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत के सम्बन्ध में यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त को उक्त वाद में फर्जी तथ्यों के आधार पर नामित कर फॅसाया गया है। वादिनी मुकदमा को गांव के राजनैतिक व्यक्तियों द्वारा गुमराह करके कथित घटना दर्ज कराई गई है, जिससे प्रार्थी का कोई वास्ता व सरोकार नहीं है। मृतका की शादी प्रार्थी से उसकी मर्जी के विरूद्ध हुई थी, जिस कारण वह शादी के बाद महज 15–20 दिन ही अपनी ससुराल में रही। कथित घ ाटना के दो दिन पूर्व प्रार्थी मृतका को विदा कराकर लाया था। उस समय मृतका अपने मायके वालों से विवाद करके आयी थी, जिसके चलते उसने आत्महत्या की है। कथित घटना का कोई विश्वसनीय साक्षी नहीं है। मृतका के शरीर पर किसी तरह की चोटें नहीं हैं। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 14.02.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। उपरोक्त आधारों पर अभियुक्त को जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी है।

राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (क्रि0) द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक/अभियुक्त प्रस्तुत प्रकरण की मृतका का पति है। सभी ससुरालीजनों ने मिलकर वादिनी मुकदमा की पुत्री शान्ती देवी, जिसकी शादी अभियुक्त पिन्टू कुमार के साथ उसकी मृत्यु से करीब 8 माह पूर्व हुई थी, से अतिरिक्त दहेज की मांग की और सभी ससुराली जनों ने मिलकर मृतका को दहेज के लिए प्रताड़ित किया व उसकी दहेज हत्या कर दी। अतः आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाय।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से यह प्रथमदृष्टया तथ्य दर्शित है कि वादिनी द्वारा आवेदक/अभियुक्त को प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित करते हुए यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उसकी पुत्री शान्ती देवी का विवाह अभियुक्त पिन्टू कुमार के साथ दिनॉक 18.04.2024 को अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज देकर हुई थी, किन्तु अभियुक्त पिन्टू कुमार व सह अभियुक्तगण दहेज के लिए ताने देकर उसकी पुत्री को प्रताड़ित करते थे और अतिरिक्त दहेज में सोने की चैन व मोटर साइकिल की मांग करते थे तथा दिनांक 01–02–2025 को उसकी पुत्री को मारपीट कर हत्या कर छत के छल्ले से लटका दिया। अभियोजन की ओर से उक्त के क्रम में विवेचक द्वारा केस डायरी में साक्षीगण के उल्लिखित बयान अर्न्तगत धारा 180 बी0एन0एस0एस0 का उल्लेख किया गया है जिसके अनुसार वादिनी द्वारा अपनी पुत्री की शादी 18.04.2024 को पिन्टू कुमार के साथ हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार किये जाने तथा अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज दिये जाने तथा विवाह के कुछ दिन बाद से ही अभियुक्त व अन्य सह अभियुक्तगण द्वारा पुत्री से अतिरिक्त दहेज में सोने की चैन व मोटरसाइकिल मांगना बताया है। इसी अतिरिक्त दहेज को लेकर वादिनी की पुत्री को प्रताड़ित करने व दिनांक 01–02–2025 को अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर विपक्षीगण द्वारा उसकी पुत्री को गाली गलौज करते हुए जान से मार कर फॉसी के फॅदे से लटका दिया जाना बताया है। पत्रावली पर उपलब्ध पोस्टमार्टम के अनुसार मृतका शान्ती देवी के शरीर पर निम्न चोटो का उल्लेख है। जिसके अनुसार Ante mortem Injury के रूप में 1-AN OBLIQUE LIGATURE MARK 24.5 CM X 1.5 CM PRESENT ON AROUND THE NECK ABOVE THYROID CARTILAGE INFRONT OF NECK PASSING OBLIQUELY UPWARDS AND BACKWARDS ALONG THE LINE OF MANDIBLE WITH A GAP OF 5.5 CM PRESENT ON LEFT SIDE OF NECK. SITUATED 4.5 CM BELOW CHIN AND 5.5 CM BELOW RIGHT EAR. BASE OF GROOVE OF LIGATURE MARK YELLOWISH,HARD AND PARCHMENT LIKE. ON DISSECTION SUB CUTANEOUS TISSUE UNDER THE LIGATURE MARK WHITE, HARD AND GLISTENING. अंकित है तथा मृत्यु का तात्कालिक

कारण ASPHYXIA due to ANTE MORTEM HANGING अंकित है। प्रकरण में मृतका की मृत्यु उसकी शादी के करीब साढे आठ माह के भीतर असामान्य परिस्थितियों में ससुराल में घटित होने का उल्लेख है। आवेदक/अभियुक्त मृतका का पति है। प्रकरण में विवेचक द्वारा आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। अतः मामले के तथ्यो एवं परिस्थितियों तथा अभियोजन प्रपत्रों को दृष्टिगत रखते हुये प्रश्नगत मामला गम्भीर प्रकृति का पाया जाता है। अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का संतोषप्रद एवं पर्याप्त आधार नहीं है। अतः अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त पिन्टू की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 40/2025, अंतर्गत धारा 85,80(2),352 बी.एन.एस एवं धारा 3/4 डी.पी.एक्ट थाना महोली जिला सीतापुर के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक : 18.03.2026

(आशीष जैन)
सत्र न्यायाधीश,
सीतापुर।
J.O.Code-UP -2024

अजीत.